

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द  
 प्रकरण संख्या 136/24(अ.प) शीर्षक उमसिंह बनाम राज्य सरकार

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर/ सूचना नं.
04/07/25	<p>पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित।                      अग्रणी संख्या 02 से 20 तक सूचना जारी                      के अनुसार। बाट-बाट कागजें लगाई कि 19                      अग्रणी संख्या 02 से 20 की कोर्ट में गैरिमी                      उपस्थित नहीं हुआ। अतः अग्रणी संख्या 02 से                      20 के विरुद्ध पत्रावली कार्यवाही के कोर्ट में रिफ                      जाते हैं। अग्रणी संख्या 01 परीकार सजा                      जवाब पेश कोर्ट में समझ-याक्षेप समझा दिया                      जाता है। पत्रावली वास्तु जवाब दिनांक 20/08/25                      को पेश हो गई।</p>	
20/08/2025	<p>पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित।                      आधिवक्ता अग्रणी ने उरण में नोटिस करते                      हुए मामले में कोई कार्यवाही नहीं चाहते वगैर                      निवेदन किया। उरण में आधिवक्ता अग्रणी जा                      कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं उरण में अब कोई                      कार्यवाही शेष नहीं रहती है। अतः अग्रणी का कार्यना                      म नोटिस में निहारा दिया जाता है। पत्रावली                      के माल सुझाए, नभल से कम की जाए।</p>	<p>महायक कलेक्टर                      देवगढ़, जिला राजसमन्द</p>

Not Recd  
 04/08/25

। तल्लिपुत्र/तल्लिपुत्र प्रमाण। हेतु ही कि...  
 प्रमाणित। प्रमाणित। प्रमाणित। प्रमाणित। प्रमाणित।  
 प्रमाणित। प्रमाणित। प्रमाणित। प्रमाणित। प्रमाणित।  
 प्रमाणित। प्रमाणित। प्रमाणित। प्रमाणित। प्रमाणित।  
 प्रमाणित। प्रमाणित। प्रमाणित। प्रमाणित। प्रमाणित।